115

<u>न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय,राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर</u>

रा.पु.क. :-

पेशी तारीख : ~~20/09/2018~~

निगरानी - 6069/2018/बुरहानपुर/भू.रा.

श्री [illegible] आज दि. 6/10/18 प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 30-10-18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 6/10/18

1. डॉ. जैनुद्दीन बोहरा उम्र लगभग 68 वर्ष पिता जाकीर हुसैन बोहरा हकीमीया हॉस्पीटल लालबाग रोड बुरहानपुर म.प्र.

——— आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

विरूध्द

1. म.प्र. राज्य शासन

[illegible] 6/10/18

<u>पुनरीक्षण याचिका म.प्र.भू.रा.स. की धारा 50 के अंतर्गत</u>

पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक निवेदन करता है कि :-

पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बुरहानपुर के राजस्व अपील प्रकरण कमांक 94 / अपील / 2017-18 मे पक्षकार डॉ. जैनुउद्दीन बोहरा विरूध्द म.प्र. शासन मे पारित आदेश दिनांक 04 / 09 / 2018 मे उनके द्वारा म.प्र.भू.रा.स. की धारा 49(3)के अंतर्गत प्रकरण मे कार्यवाही कर सुनवाई किये जाने के आदेश पारित किये है उस आंशिक आदेश से पीडित एवं व्यथीत होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है ।

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6069/2018/बुरहानपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री अजय चतर्वेदी, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस करने का अनुरोध किया गया । अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाता है । अध्यक्ष	